

**(TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE PART IV (EXTRAORDINARY))
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
1-A, CANNING LANE, K.G. MARG NEW DELHI-110001.**

F. No. 61(SAB) DO-I/DSW/2002/VOL-II/ 2666-87

Dated : 28.04.2014

NOTIFICATION

No. F.61(SAB)DO-I/DSW/2002/VOL-II In exercise of the power conferred by section 62 read with clause (x) of section 2 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby constitutes for the National Capital Territory of Delhi, the **State Advisory Board** consisting of the following members for advising the Government on matters relating to the establishment and maintenance of homes, mobilization of resources, provision of facilities for education, training and rehabilitation of child in need of care and protection and Juvenile in conflict with law and co-ordination among the various official and non-official agencies concerned namely:-

S. No.	Name and Address of the Members	Designation
1.	The Pr. Secretary, Department of Women and Child Development, GNCT of Delhi, GLNS Complex Delhi Gate, Delhi.	Chairperson
2.	The Director, Department of Women & Child Development, 1-A, Canning Lane, K.G. Marg, Delhi.	Member– Secy.
3.	The Commissioner, Department of Labour, Old Secretariat, Delhi or his/her nominee.	Member
4.	The Director, Directorate of Education, Old Secretariat, Delhi or his/her nominee.	Member
5.	The Director, Directorate of Health Services, F-17, Karkardooma, Delhi or his/her nominee.	Member
6.	The Director (Education), South Delhi, MCD, Education Department 23rd Floor, Dr. S.P.M. Civic Centre, Minto Road, New Delhi or his/her nominee.	Member
7.	The Deputy Secretary, Finance (Expenditure), Department of Finance, Govt. of NCT Delhi, 4th Level, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi or his/her nominee.	Member
8.	The Pr. Magistrate, Juvenile Justice Board-II, Opp. Firozshah, Kotla, Delhi Gate, Delhi.	Member

9.	The Chairperson, Child Welfare Committee –I, Nirmal Chhaya Complex, Jail Road, Delhi	Member
10.	The Medical Superintendent, Guru Tek Bahadur Hospital, Govt. of NCT of Delhi, Dilshad Garden, Delhi or his/her nominee.	Member
11.	The Medical Superintendent, Deen Dayal Upadhaya Hospital, Govt. of NCT of Delhi, Hari Nagar Delhi or his/her nominee.	Member
12.	Dr. Nimisha Kumar, Assistant Professor, Centre for Early Childhood, Development & Research Jamia Milia Islamia University, Delhi.	Member
13.	Sh. Harsh Mander, Center for Equity Studies, B-68, Sarvodaya Enclave, Delhi.	Member
14.	Ms. Praveen Nair, Chairperson, Salam Baalak Trust, 2nd Floor, DDA Community Centre, Gali No. 11, Multani Dhanda, Pahar Ganj, New Delhi.	Member

The tenure of the above said Board shall be for a period of three years from the date of the issue of this notification.

**By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi.**

Sd/-

**(Saumya Gupta)
Director, Women & Child Development**

F. No. 61(SAB) DO-I/DSW/2002/VOL-II/ 2666-87

Dated:28.04.2014

Copy forwarded for information to:

1. The Secretary to Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi, Raj Niwas Marg, New Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
3. The Secretary to the Minister of Women & Child Development, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
4. The OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
5. The Pr. Secretary (Health), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.

6. The Pr. Secretary, Department of Education, Govt. of NCT of Delhi, 5, Shyam Nath Marg, Old Secretariat, New Delhi.
7. The Pr. Secretary, Department of Women & Child Development & Social Welfare), GLNS Complex, Delhi Gate, Delhi.
8. The Director, Department of Women & Child Development, 1, Canning Lane, K.G. Marg, Delhi.
9. The Pr. Secretary, Department of Law & Judicial, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
10. The Commissioner, Department of Labour, Old Secretariat, Delhi.
11. The Director, Directorate of Education, Old Secretariat, Delhi.
12. The Director, Directorate of Health Services, F-17, Karkardooma, Delhi.
13. The Director (Education), South Delhi, MCD, Education Department 23rd Floor, Dr. S.P.M. Civic Centre, Minto Road, New Delhi.
14. The Deputy Secretary, Finance (Expenditure), Department of Finance, Govt. of NCT Delhi, 4th Level, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.
15. The Pr. Magistrate, Juvenile Justice Board-II, Opp. Firozshah, Kotla, Delhi Gate, Delhi.
16. The Chairperson, Child Welfare Committee –I, Nirmal Chhaya Complex, Jail Road, Delhi
17. The Medical Superintendent, Guru Tek Bahadur Hospital, Govt. of NCT of Delhi, Dilshad Garden, Delhi.
18. The Medical Superintendent, Deen Dayal Upadhaya Hospital, Govt. of NCT of Delhi, Hari Nagar Delhi.
19. Dr. Nimisha Kumar, Assistant Professor, Centre for Early Childhood, Development & Research Jamia Milia Islamia University, Delhi.
20. Sh. Harsh Mander, Center for Equity Studies, B-68, Sarvodaya Enclave, Delhi.
21. Ms. Praveen Nair, Chairperson, Salam Baalak Trust, 2nd Floor, DDA Community Centre, Gali No. 11, Multani Dhanda, Pahar Ganj, New Delhi.
22. The Deptt. of Public Relation, Govt. of Delhi (in duplicate) for the publication in Delhi Gazette Part IV Extra ordinary.

Sd/-

(Saumya Gupta)
Director, Women & Child Development

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-4 में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
1-ए, केनिंग लेन, के.जी.मार्ग दिल्ली-110001

सं0फा061(एसएबी)/डीओ- I/डीएसडब्ल्यू/2002/वालयुम- II/2666-87 दिनांक:28.04.2014

अधिसूचना

सं0फा061(एसएबी)/डीओ- I/डीएसडब्ल्यू/2002/वालयुम- II/

किषोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम 2000 (2000 का 56) की धारा 62 तथा धारा 2 के उपधारा (एक्स) के अर्न्तगत प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए निम्नलिखित सदस्यों का राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन, सरकार को कानून का उल्लंघन करने वाले किषोरों तथा देखभाल एवं सुरक्षा हेतु जरूरतमन्द बच्चों के लिए गृहों की स्थापना, रख-रखाव, संसाधन जुटाने, शिक्षा, पषिषण एवं पुर्नवास की सुविधाओं सम्बन्धि मामलों में सलाह देने तथा विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए किया जाता है।

क्रमसंख्या	सदस्यों का नाम व पता	पद
1	प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जीएलएनएस कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट दिल्ली।	अध्यक्ष
2	निर्देशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 1-कैनिंग लेन कस्तूरबा गांधी, मार्ग नई दिल्ली।	सदस्य-सचिव
3	आयुक्त, श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय दिल्ली। या नामांकित च्यक्ति/प्रतिनिधत्व	सदस्य
4	निर्देशक, शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय दिल्ली। या नामांकित च्यक्ति/प्रतिनिधत्व	सदस्य
5	निर्देशक, स्वास्थ्य विभाग, एफ-17, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, करकरडुमा, दिल्ली। या नामांकित व्यक्ति/प्रतिनिधत्व	सदस्य
6	निर्देशक, शिक्षा दक्षिण दिल्ली, एमसीडी शिक्षा विभाग 23 वी मंजिल डा0 एसपीएम सिवीक सेन्टर, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली। या नामांकित व्यक्ति/प्रतिनिधत्व	सदस्य
7	उप सचिव, वित्त (बजट), विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, फोर्थ लेवल दिल्ली सचिवालय, आईपी स्टेट नई दिल्ली। या नामांकित च्यक्ति/प्रतिनिधत्व	सदस्य
8	प्रमुख मजिस्ट्रेट, किषोर न्याय बोर्ड-2, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, फिरोजशाह कोटला के सामने, दिल्ली गेट, दिल्ली।	सदस्य
9	अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति-1, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड़, नई दिल्ली।	सदस्य
10	चिकित्सा अधीक्षक, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिलषाद गार्डन, दिल्ली। या नामांकित व्यक्ति/प्रतिनिधत्व	सदस्य
11	चिकित्सा अधीक्षक, दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, हरी नगर दिल्ली। या नामांकित	सदस्य

	व्यक्ति/प्रतिनिधित्व	
12	डा० निमिषा कुमार, सहायक प्राध्यापक सेन्टर फोर अरली चाइल्डहुड डेवलपमेन्ट और रिसर्च, जामिया मिलिया इस्लामियाँ यूनिवर्सिटी दिल्ली।	सदस्य
13	श्री हर्ष मन्देर, सेन्टर फोर ईक्यूटि स्टेडीज, बी-68, सर्वोध्या ईन्कलेव, दिल्ली।	सदस्य
14	श्रीमति प्रवीन नायर, अध्यक्ष सलाम बालक ट्रस्ट, दूसरी मंजिल, डीडीए कम्युनिटी सेन्टर, गली न०-11, मुलतानी ढान्डा, पहाड़ गंज, नई दिल्ली।	सदस्य

कथित बोर्ड की कार्य अवधि इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन वर्षों के लिए होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम पर,

(सौम्या गुप्ता)

निदेशक, महिला एवं बाल-विकास विभाग

सं०फा०६१(एसऐबी)/डीओ- I/डीएसडब्ल्यू/२००२/वालयुम- II/२६६६-८७ दिनांक:२८.०४.२०१४

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-

1. सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राज निवास मार्ग, नई दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5 शमनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
7. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जीएलएनएस परिसर, दिल्ली गेट, दिल्ली।
8. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 1-कौनिंग लेन कस्तूरबा गांधी, मार्ग नई दिल्ली।
9. प्रमुख सचिव, विधि एवं न्याय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
10. आयुक्त, श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय दिल्ली।
11. निदेशक, शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय दिल्ली।
12. निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, एफ-17, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, करकरडुमा, दिल्ली।

13. निदेशक, शिक्षा दक्षिण दिल्ली, एमसीडी शिक्षा विभाग 23 वी मंजिल डा0 एसपीएम सिवीक सेन्टर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली।
14. उप सचिव, वित्त (बजट), विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, फोर्थ लेवल दिल्ली सचिवालय, आईपी स्टेट नई दिल्ली।
15. प्रमुख मजिस्ट्रेट, किषोर न्याय बोर्ड-2, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, फिरोजशाह कोटला के सामने दिल्ली गेट, दिल्ली।
16. अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति-1, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, नई दिल्ली।
17. चिकित्सा अधीक्षक, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिलषाद गार्डन, दिल्ली।
18. चिकित्सा अधीक्षक, दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, हरी नगर दिल्ली।
19. डा0 निमिषा कुमार, सहायक प्राध्यापक सेन्टर फोर अरली चाइल्डहुड डेवलपमेन्ट और रिसर्च, जामिया मिलिया ईस्लामियाँ यूनिवर्सिटी दिल्ली।
20. श्री हर्ष मन्देर, सेन्टर फोर ईक्यूटि स्टेडीज, बी-68, सर्वोध्या इन्कलेव, दिल्ली।
21. श्रीमति प्रवीन नायर, अध्यक्ष, सलाम बालक ट्रस्ट, दूसरी मंजिल, डीडीए कम्युनिटी सेन्टर, गली न0-11, मुलतानी ढान्डा, पहाड़ गंज, नई दिल्ली।
22. जन संपर्क विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ (अनुलिपि में)।

(सौम्या गुप्ता)
निदेशक, महिला एवं बाल-विकास विभाग